उत्तर मध्य रेलवे
रेल भर्ती प्रकोष्ठ
प्रयागराज

नवाब युसुफ रोड
बाल्मिकी चौराहा, सिविल लाइन्स
प्रयागराज– 211001
दूरभाष (रेलवे) : 0532–2223961
ईमेल-helpdesk@rrcpryj.org

दस्तावेज सत्यापन (डीवी) कार्यक्रम संबंधी महत्वपूर्ण सूचना
सीईएन–08/2024

*****

केन्द्रीकृत रोजगार सूचना सं. 08/2024 के अन्तर्गत दस्तावेज सत्यापन (26.10.2026 से 23.11.2026) के संबंध में रेल भर्ती प्रकोष्ठ/प्रयागराज द्वारा दिनांक 12.10.2026 को वेबसाईट पर नोटिस जारी किया गया है।

- दस्तावेज सत्यापन (डीवी) हेतु शार्टलिस्ट किये गये सभी अभ्यर्थी, रेल भर्ती प्रकोष्ठ/प्रयागराज की वेबसाईट www.rrcpryj.org ⇨08/2024 ⇨Document Verification पर दिये गये लिंक के माध्यम (दिनांक 19.10.2026 से) से ई–कॉल लेटर व दिशा–निर्देश डाउनलोड कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन (डीवी) हेतु ई–कॉल लेटर में निहित निर्देशों का अवलोकन करते हुए वर्णित तिथि, स्थान व समय के अनुसार डीवी आयोजन स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि किसी भी स्थिति में दस्तावेज सत्यापन (डीवी) आयोजन स्थल, तिथि और पाली (शिफ्ट) में परिवर्तन का अनुरोध रेल भर्ती प्रकोष्ठ/प्रयागराज द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पात्र उम्मीदवारों को डाक द्वारा कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा।

- ब्लॉक तिथि (25.11.2026 तथा 27.11.2026) के संबंध में सूचना ई–कॉल लेटर में अंकित रहेगी। सभी अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि दस्तावेज सत्यापन/चिकित्सा परीक्षण हेतु निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है। ब्लॉक तिथि हेतु केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अनुमति प्रदान करने के संबंध में विचार किया जायेगा जो बीमारी (रजिस्टर्ड मेडिकल चिकित्सक द्वारा सत्यापित) अथवा यूनिवर्सिटी/सरकारी भर्ती परीक्षा (दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर) की वजह से नियत तिथि पर उपस्थित नहीं हो सके। ब्लॉक तिथि पर दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के लिए अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अनुमति प्रदान करने के लिए अनुपस्थित होने का कोई और कारण नहीं माना जाएगा, न ही कोई नया ई–कॉल लेटर जारी किया जाएगा।

अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु मूल आधार कार्ड अवश्य लेकर आयें।

In terms of Rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 read with Section 4(4) (b) (ii) of the Aadhaar Act, 2016 (as amended), the Railway Recruitment Boards are allowed to perform Aadhaar Authentication, on voluntary basis, for establishing identity of each candidate to avoid impersonation and other malpractices during the examination and to ensure fair conduct of examination. Accordingly, Aadhaar based Biometric Authentication of candidates will be carried outbefore/during course Document Verification (DV). **Candidates are required to bring their original Aadhar Card.**

दिनांक : 19.10.2026

अध्यक्ष
रेल भर्ती प्रकोष्ठ
प्रयागराज

प्रभाव के माध्यम से या अनुचित और अनैतिक साधनों का इस्तेमाल कर रेलवे में नौकरी सुरक्षित कराने के झूठे वादे देकर धोखा देने का प्रयास करने वाले दलालों और जॉब रैकेटरों से सावधान रहें। आरआरबी/आरआरसी कभी अपनी ओर से कार्य के लिए किसी एजेंट अथवा कोचिंग सेंटरों को बहाल नहीं करती हैं। व्यक्तियों/एजेंसियों द्वारा किए जा रहे ऐसे दावों के प्रति उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है। उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाता है। शरारती तत्वों से सावधान रहें और उनके चुंगुल में न फंसे। आरआरबी/आरआरसी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आरआरबी/आरआरसी की केवल आधिकारिक वेबसाइटों को देखें और शरारती तत्वों/दलालों द्वारा प्रस्तुत नकली वेबसाइटों और सोशल मीडिया की सामग्री से सावधान रहें।